न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा जिला अलवर(राज0)

पीठासीन अधिकारी :—नवज्योति कंवरिया (आर.ए.एस.)

वाद संख्या	दायर दिनांक	निर्णय
1/196	21.07.2022	09.07.2025

बउनवान

01. रामचरण पुत्र स्व. श्री रामजीलाल जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम मालाखेडा जिला अलवर, (मृतक)
    1/1. अंगूरी देवी पत्नी स्व. श्री रामचरण शर्मा
    1/2. अनिल कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री रामचरण शर्मा जातियान ब्राहाम्ण निवासीयान ग्राम मालाखेडा
    1/3 पिंकी शर्मा पुत्री स्व. श्री रामचरण शर्मा पत्नी विवेकानन्द शर्मा निवासी जयपुर
    1/4 नीतू शर्मा पुत्री स्व. श्री रामचरण शर्मा पत्नी जितेन्द्र जैमन
    1/5 मिनाक्षी शर्मा पुत्री स्व. श्री रामचरण शर्मा पत्नी अंकित शर्मा निवासीयान अलवर जिला अलवर

वादीगण

बनाम

01. मिठ्ठन लाल
02. हजारी लाल पुत्रान मोहनलाल
03. बाबूलाल पुत्र श्योदान
04. हरकेश पुत्र बाबूलाल
05. अशोक पुत्र भोल्या निवासीयान नन्दगांव मालाखेडा

असल प्रतिवादीगण

06. जितेन्द्र पुत्र योगेश
07. निर्मला पुत्री रामजीलाल
08. पुष्पा पुत्री रामजीलाल
09. मनीष पुत्र योगेश
10. सन्तोष देवी पत्नी योगेश
11. सीमा पुत्री योगेश
12. सोनू पुत्र योगेश जातियान ब्राहाम्ण निवासीयान मालाखेडा तहसील मालाखेडा

तरतीबी प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितिः—
श्री अरविन्द दीक्षित
श्री सतीश शर्मा एड. वादीगण
श्री के.के. मीना एड. प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज०

—:निर्णयः—

वादीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खाता संख्या 909 खसरा नम्बर 4527 रकबा 0.70 हैक्टेयर, 546 रकबा 0.86 हैक्टेयर, कुल किता 02 रकबा 1.56 हैक्टेयर वाके ग्राम मालाखेडा मे प्रार्थी का 13/30 सालिम हिस्सा कब्जे काश्त खातेदारी का है तथा तरतीबी अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात मे सहकाश्तकारान है। प्रार्थी ने अपनी आराजी की पैमाईस व पत्थरगढी हेतु पूर्व मे एक प्रार्थना पत्र धारा 128 व 111 भू—राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया था, जिस पर तहसीलदार साहब ने दिनांक—27.05.2022 को नियमानुसार पैमाईस करवाकर दिनांक—09.06.2022 को पुलिस जाब्ता के साथ मौके पर पत्थरगढी कराने के आदेश दिये गये। जिस पर पत्थरगढी की गई लेकिन उक्त पैमाईस व पत्थरगढी को असल अप्रार्थीगण ने नही माना ओर प्रार्थी की गैर मौजुदगी मे प्रार्थी के 13/30 हिस्से पर जबरन अतिक्रमण व अतिचार करते हुऐ गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर लिया। प्रार्थी ने असल अप्रार्थीगण से विवादित आराजी पर किये गये कब्जे को हटाने के लिये कहा तो अप्रार्थीगण ने अपना कब्जा नही हटाया।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण निम्न प्रकार से डिक्री का अनुतोष चाहा कि डिक्री बहक प्रार्थी बहक प्रार्थी विरूद्व असल अप्रार्थीगण बेदखली इस अमर की सादिर फरमाई जावे कि आराजी खाता संख्या 909 खसरा नम्बर 4527 रकबा 0.70 हैक्टेयर, 546 रकबा 0.86 हैक्टेयर कुल किता 02 रकबा 1.56 हैक्टेयर वाके ग्राम मालाखेडा मे जो आराजी रकबा पर अप्रार्थीगण ने अवैध व गैरकानूनी रूप से अतिक्रमण व कब्जा किया है, प्रार्थी की आराजी मुतनाजा को अप्रार्थीगण से कब्जा मुक्त कराया जाकर अप्रार्थीगण को विवादित आराजीयात से बेदखल कराया जावे तथा प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त की आराजी पर दखल दिलाया जावे। अन्य मुफीद आज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण करीने इन्साफ जायज वो साबित हो अता फरमाई जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी की पैमाईस करवाई गयी है, जो गलत तरीके से करवाई गयी है। प्रार्थी के हिस्से में जितनी जमीन आती है। प्रार्थी उस पर काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है तथा अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 2 के पिता अपने पूर्वजों के समय से अपनी आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है तथा अप्रार्थी संख्या 3 स्वंय काबिज है। अप्रार्थी संख्या 4 जो अप्रार्थी संख्या 3 का पुत्र है जो वर्तमान में अध्यनरत है। प्रतिवादी संख्या 5 अपने पूर्वजों के समय से अपनी आराजी पर काबिज है। आराजी खसरा नम्बर 4525 रकबा 0.30 हैक्टेयर, 4526 रकबा 0.40 हैक्टेयर 4527/4933 रकबा 0.04 हैक्टेयर पर अप्रार्थीगण अपने पूर्वजो के समय से ही काश्त करते चले आ रहे है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की आराजी पर कोई कब्जा नहीं कर रखा है, बल्कि प्रार्थी स्वंय अप्रार्थीगण की आराजी को जबरन लठ के बल पर हडपना चाहता है। अप्रार्थीगण केवल अपनी आराजी पर काबिज रहकर काश्त कर रहे है। अप्रार्थीगण ने किसी प्रकार अतिक्रमण व अतिचार प्रार्थी की आराजी पर नही किया है। अप्रार्थीगण के नाम जितनी आराजी है केवल उतनी ही आराजी पर काबिज है। इसके लिये अप्रार्थीगण ने अपनी आराजी की पैमाईस के लिये तहसीलदार मालाखेडा के प्रार्थना पत्र दे रखा है। प्रार्थी की आराजी पर किसी प्रकार का कोई अतिचार /कब्जा अप्रार्थीगण द्वारा नहीं किया गया है। एसी सूरत में प्रार्थी किसी प्रकार का कोई दखल लेने का अधिकारी नहीं है। इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज०

उभयपक्ष की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे प्रश्नगत आराजी की नये सिरे से दोनो पक्षो की मौजूदगी मे सीमाज्ञान कराते हुये प्रश्नगत आराजी की पत्थरगढी / तारबंदी का कथन किया। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में अपने जवाब मे अंकित तथ्यों को दौहराया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित आराजी की दिनांक 01.07.2022 को की गई। पैमाईस पर पत्थरगढी आदेश दिनांक 09.06.2022 को असल अप्रार्थीगण द्वारा नही मानते हुये प्रार्थी के हिस्से की आराजी 13 / 30 पर जबरन अतिक्रमण व अतिचार कर गैर कानूनी तरीके से किये गये कब्जे को हटाने का कथन किया है। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में पूर्व पैमाईस दिनांक 01.07.2022 को गलत बताते हुये प्रश्नगत आराजी की पुनः पैमाईस के लिये तहसीलदार मालाखेडा के यहाँ प्रार्थना पत्र देने का कथन किया है। प्रार्थीगण भी प्रश्नगत आराजी की पैमाईश के आधार पर अप्रार्थीगण का कब्जा हटवाते हुये पत्थरगढी / तारबंदी कराना चाहते हैं। यदि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण पूर्व सीमाज्ञान से संतुष्ट नही से है तो पक्षकारान के मध्य विवादित आराजी को लेकर भविष्य में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं हो इसके लिये ई.टी.एस. मशीन द्वारा सीमाज्ञान करवाये जाने का प्रावधान है। प्रार्थी ई.टी.एस. मशीन द्वारा सीमाज्ञान करवाये जाने के पश्चात प्रश्नगत आराजी की पत्थरगढी / तारबंदी करवाये जाने हेतु सहमत है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है हाल आराजी खसरा नम्बर 4527 रकबा 0.70 हैक्टेयर, 546 रकबा 0.86 हैक्टेयर किता 2 कुल रकबा 1.56 हैक्टेयर वाके ग्राम मालाखेडा की ई.टी.एस. मशीन से पैमाईश करवाये जाने के उपरान्त विवादित आराजी की पत्थरगढी / तारबंदी करवाये जाने के आदेश दिये जाते है। ई.टी.एस. मशीन द्वारा पैमाईस का खर्चा प्रार्थी स्वंय वहन करेगा। तहसीलदार मालाखेडा को आदेश दिये जाते है कि वो श्रीमान भू प्रबन्ध अधिकारी से ई.टी.एस. मशीन द्वारा पैमाईस करवाये जाने की कार्यवाही करायें। तहसीलदार मालाखेडा को अहकाम जारी हो।

(नवज्योति कंवरिया)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज०

निर्णय आज दिनाक 09.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(नवज्योति कंवरिया)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज०